प्रेस विज्ञप्ति

26/07/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने भारती देवी और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से 62 लाख रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने भारती देवी और अन्य के खिलाफ भा.द.स, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत विकासनगर थाना, देहरादून, उत्तराखंड द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी भारती देवी ने बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समितियों और जनता के धन का दुरुपयोग करने के लिए बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समितियों, विकासनगर के रिकॉर्ड/दस्तावेजों में हेरफेर किया है। अभियुक्तों ने अपने स्वयं के मौद्रिक लाभ के लिए सहकारी समिति और जनता के धन का गबन करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया।

ईडी की जांच में पता चला कि गलत तरीके से कमाए गए इस पैसे का इस्तेमाल उनके बेटे रवि कुमार के नाम पर अचल संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया था। पीओसी की पहचान के बाद, 62 लाख रुपये (लगभग) की संपत्ति कुर्क करने का अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया है, जिसमें जिला-देहरादून में स्थित एक इमारत भी शामिल है। इससे पहले, 3.18 करोड़ रुपये का पीएओ जारी किया गया था, जिसकी पुष्टि न्यायनिर्णयक प्राधिकारी ने की है। इस प्रकार, इस मामले में कुल कुर्की 3.80 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच जारी है।